राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2025 को प्राप्त हुई)

कतिपय विधियों का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय विधियों का निरसन.- अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियां इसके द्वारा सम्पूर्ण रूप से निरसित की जाती हैं।

3. व्यावृत्तियां.- (1) इस अधिनियम द्वारा किसी विधि का निरसन ऐसी किसी भी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें इसके द्वारा निरसित विधि लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गयी है।

(2) यह अधिनियम इसके द्वारा निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन पहले से ही की गयी या भुगती गयी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम, या उसके अधीन पहले से ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी भी अन्वेषण, उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग का या से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से ही अनुदत्त किसी भी क्षतिपूर्ति या किसी भी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम में, या किसी भी विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे इसके द्वारा निरसित किसी विधि के द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से क्रमश: अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हैं।

(4) इस अधिनियम द्वारा किसी विधि का निरसन, ऐसी किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ी, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा जो उस तारीख को विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है।

(5) शंका के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां यह अधिनियम ऐसी किसी विधि का निरसन करता है जिसके द्वारा किसी भी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्त:स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा भूतलक्षी रूप से या भविष्यलक्षी रूप से, किसी भी अन्य विधि का पाठ संशोधित किया गया था वहां उक्त निरसन, इस प्रकार निरसित की गयी विधि द्वारा किये गये और इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रवर्तनशील ऐसे किसी भी संशोधन की पूर्व विद्यमानता और आगे जारी रहने पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

क्र.सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियमों का संक्षिप्त नाम
1.	1952	10	दी बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (एमेंडमेंट) एक्ट, 1952
2.	1952	16	दी बीकानेर म्यूनिसीपल (एमेंडमेंट) एक्ट, 1952
3.	1952	24	दी जयपुर डिट्रिस्क्ट बोर्डस (एमेंडमेंट) एक्ट, 1952
4.	1955	10	जोधपुर म्यूनिसीपल (संशोधन) अधिनियम, 1955
5.	1955	15	दी सिटी आफ जयपुर म्यूनिसीपल (संशोधन) अधिनियम, 1955
6.	1962	13	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1962
7.	1964	2	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1964
8.	1964	19	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1964
9.	1964	20	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1964
10.	1964	32	राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1964
11.	1965	5	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1965
12.	1965	15	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1965
13.	1966	9	राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1966
14.	1969	6	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1969
15.	1970	7	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1970
16.	1971	3	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971
17.	1973	1	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1973
18.	1974	9	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1974
19.	1975	12	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1975
20.	1976	6	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976
21.	1976	18	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1976
22.	1976	44	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1976
23.	1976	45	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976
24.	1979	9	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1979
25.	1982	4	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1982
26.	1983	10	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1983
27.	1986	22	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1986

क्र.सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियमों का संक्षिप्त नाम
28.	1987	9	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1987
29.	1987	12	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1987
30.	1987	14	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987
31.	1988	5	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1988
32.	1988	6	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1988
33.	1991	15	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1991
34.	1992	21	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1992
35.	1996	8	भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1995
36.	2000	18	कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम-परिर्वतन) अधिनियम, 2000
37.	2006	10	राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) अधिनियम, 2006
38.	2015	7	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015
39.	2015	8	राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015
40.	2015	28	राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015
41.	2015	29	राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015
42.	2016	6	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016
43.	2018	22	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2018
44.	2019	4	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019
45.	2021	12	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।